

I/20116/2022

E-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू-अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी,
पटना / सारण (छपरा) / दरभंगा / भोजपुर (आरा) / कैमूर (भभूआ) / गोपालगंज /
भागलपुर / नवादा / औरंगाबाद / पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) / मधुबनी
बन्दोबस्त पदाधिकारी,
जहानाबाद / प0चम्पारण (बेतिया) / शिवहर / बाँका / बेगूसराय / जहानाबाद / अरवल /
किशनगंज / कटिहार / सीतामढ़ी / सुपौल / जमुई / शेखपुरा / नालन्दा / पूर्णिया /
खगडिया / मुंगेर
प्राचार्य,
राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान,
बोधगया

पटना, दिनांक :-

विषय :- मुख्य शीर्ष- 2029-भू-राजस्व-उप मुख्य शीर्ष -00- लघु शीर्ष 102- सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य - उप शीर्ष -0101- सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य का पुनरीक्षण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में निधि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु आपके नियंत्रणाधीन कार्यालय में पदस्थापित पदाधिकारी/कर्मियों को वेतनादि मद (संविदा सहित) एवं अन्य मद में कुल- **10,92,30,900.00(दस करोड़ ब्यानवें लाख तीस हजार नौ सौ)** रुपये मात्र का आवंटन निम्नानुसार निर्गत किया जाता है :-

क्र०स०	कार्यालय का नाम	विषय शीर्ष			योग
		01 01 वेतन	01 03 जी०या०भ०	01 06 चिकित्सा भत्ता	
1	2	3	4	5	6
1	बन्दोबस्त कार्यालय, जहानाबाद	137000	20000	0	157000
2	बन्दोबस्त कार्यालय, प0चम्पारण (बेतिया)	128000	0	0	128000
3	बन्दोबस्त कार्यालय, शिवहर	165000	20000	1000	186000
4	राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, बोधगया	40000	10000	0	50000
कुल योग :-		470000	50000	1000	521000

क्र०सं०	कार्यालय का नाम	13 10 भाड़े की गाड़ी का भुगतान	28 02 संविदा सेवाएँ	52 01 मशीने एवं उपस्कर	कुल योग
1	2	3	4	5	6
1	समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, पटना	0	603000	0	603000
2	समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, सारण (छपरा)	0	3500000	0	3500000
3	समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, दरभंगा	0	1200000	0	1200000
4	समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, भोजपुर (आरा)	0	800000	3305000	4105000
5	समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, कैमूर (भभूआ)	0	800000	0	800000
6	समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, गोपालगंज	0	827000	300000	1127000
7	समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, भागलपुर	0	1000000	0	1000000
8	समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, नवादा	0	48000	0	48000
9	समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, औरंगाबाद	0	792000	0	792000
10	समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, मोतिहारी	0	787900	0	787900
11	समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, मधुबनी	0	2000000	0	2000000
12	बन्दोबस्त कार्यालय, बाँका	0	7000000	0	7000000
13	बन्दोबस्त कार्यालय, बेगूसराय	0	1600000	0	1600000
14	बन्दोबस्त कार्यालय, जहानाबाद	0	6500000	0	6500000
15	बन्दोबस्त कार्यालय, अरवल	0	7500000	0	7500000
16	बन्दोबस्त कार्यालय, किशनगंज	0	8000000	0	8000000
17	बन्दोबस्त कार्यालय, कटिहार	0	7500000	0	7500000
18	बन्दोबस्त कार्यालय, सीतामढ़ी	0	6000000	0	6000000
19	बन्दोबस्त कार्यालय, सुपौल	0	7000000	0	7000000
20	बन्दोबस्त कार्यालय, जमुई	0	3000000	0	3000000
21	बन्दोबस्त कार्यालय, शेखपुरा	0	7000000	0	7000000
22	बन्दोबस्त कार्यालय, नालन्दा	0	9109000	0	9109000
23	बन्दोबस्त कार्यालय, प०चम्पारण (बेतिया)	0	7000000	0	7000000

I/20116/2022

-3-

क्र०सं०	कार्यालय का नाम	13 10 भाड़े की गाड़ी का भुगतान	28 02 संविदा सेवाएँ	52 01 मशीने एवं उपस्कर	कुल योग
1	2	3	4	5	6
24	बन्दोबस्त कार्यालय, पूर्णियाँ	0	3500000	0	3500000
25	बन्दोबस्त कार्यालय, खगड़िया	38000	5000000	0	5038000
26	बन्दोबस्त कार्यालय, मुंगेर	0	7000000	0	7000000
कुल योग :-		38000	105066900	3605000	108709900

(5,21,000.00 + 10,87,09,900.00= 10,92,30,900.00)

(दस करोड़ ब्यानवें लाख तीस हजार नौ सौ)

- यह आवंटन वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक - 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं राज्यादेश संख्या 314 दिनांक 27.02.2019 के आलोक में निर्गत किया जाता है।
- अनुरोध है कि व्यय को आवंटन के अन्तर्गत रखते हुए राशि की निकासी की जाय।
- कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों को मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/ उप शीर्ष/इकाई कोड/माँग संख्या - 40 एवं विपत्र कोड 40 - 2029001020101 अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से करने होंगे ताकि अनियमितता की संभावना नहीं रहे।
- आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी निदेशालय द्वारा निर्गत पत्र संख्या 11650 दिनांक 21.12.2020 के साथ संलग्न प्रपत्रों में प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह तक नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
- बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा सकें।
- किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
- नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाणपत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
- इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को ही दी जा रही है।
- उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।
- आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

विश्वासभाजन

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाप

- प्रतिलिपि :-
- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
 - संबंधित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।..
 - संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।..
 - श्रीमति सरीता कुमारी, प्रोग्रामर आई०टी सेल, भू-अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को विभागीय वेबवार्ड पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।